

संसद से सांसदों का नलिंबन

प्रलिमिंस के लयि:

संसद से सांसदों का नलिंबन, लोकसभा, [राज्यसभा](#), संसद सदस्य, पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष

मेन्स के लयि:

संसद से सांसदों का नलिंबन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राज्यसभा](#) के एक सांसद (संसद सदस्य) को **आसन के नरिदेशों** का "उल्लंघन" करने के लयि नलिंबति कर दयि गयि है ।

मणपुरि मुददे पर राज्यसभा में वपिकष का वरिध जारि है । वे इस मामले पर प्रधानमंत्री की प्रतिकरयि की मांग कर रहे हैं और परणामस्वरूप इसमें शामिल सांसदों में से एक को नलिंबति कर दयि गयि ।

सांसदों के नलिंबन की प्रक्रयि:

■ सामान्य सदिधांत:

- सामान्य सदिधांत यह है कवियवस्था बनाए रखना पीठासीन अधिकारी- [लोकसभा अध्यक्ष](#) और [राज्यसभा के सभापति](#) की भूमिका और करतव्य है ताकिसदन सुचारु रूप से चल सके ।
- यह सुनश्चित करने के लयि कर्कार्यवाही उचित तरीके से संचालति हो, अध्यक्ष/सभापतिको कसिी सदस्य को सदन से बाहर जाने के लयि वविश करने का अधिकार है ।

■ प्रक्रयि और आचरण के नयिम:

लोकसभा	राज्यसभा
नयिम 373: <ul style="list-style-type: none"> ● प्रक्रयि एवं कार्य संचालन नयिमों की नयिम संख्या 373 के अनुसार, "अध्यक्ष कसिी सदस्य का आचरण अमर्यादति पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का नरिदेश दे सकता है । जनि सदस्यों को हटने का आदेश दयि गयि है वे तुरंत ऐसा करेंगे और शेष दनि की बैठक के दौरान अनुपस्थति रहेंगे । ● गंभीर मामलों या अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों से नपिटने के लयि अध्यक्ष नयिम 374 और 374A का सहारा लेता है । 	नयिम 255: <ul style="list-style-type: none"> ● लोकसभा अध्यक्ष की तरह राज्यसभा के सभापति को नयिम संख्या 255 के तहत "कसिी भी सदस्य का आचरण अमर्यादति पाए जाने पर तुरंत उसे सदन से बाहर जाने का नरिदेश देने" का अधिकार है । ● लोकसभा अध्यक्ष के वपिरीत राज्यसभा सभापति के पास कसिी सदस्य को नलिंबति करने का अधिकार नहीं है । इसलयि सदन कसिी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से नलिंबन समाप्त कर सकता है । ● अध्यक्ष "उस सदस्य का नाम बता सकता है जो अध्यक्ष के अधिकारों की अवहेलना करता है या नरितर और जान-बूझकर कार्य में बाधा डालकर सभा के नयिमों का दुरुपयोग करता है" । ● ऐसी स्थितिमें सदन, सदस्य को शेष सत्र से अधिकि की अवधि के लयि सदन की सेवा से नलिंबति करने का प्रस्ताव रख सकता है ।
Rule 374: <ul style="list-style-type: none"> ● अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है, जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जान-बूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नयिमों का दुरुपयोग करता है । ● यदिकसिी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार नामति 	Rule 256: <ul style="list-style-type: none"> ● इसमें सदस्यों के नलिंबन का प्रावधान है । ● सभापति कसिी सदस्य को सत्र के शेष समय से अधिकि की अवधि के लयि सभा से नलिंबति कर सकता है ।

किया जाता है, तो **अध्यक्ष एक प्रस्ताव के माध्यम से तुरंत यह प्रश्न रखेगा** कि सदस्य (ऐसे सदस्य का नाम लेते हुए) को सत्र के शेष समय से अधिक की अवधि के लिये सदन की सेवा से नलिंबति कर दिया जाए।

नयिम 374A:

- नयिम 374A को **दिसंबर 2001 में नयिम पुस्तिका में शामिल** किया गया था।
- घोर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने पर **सदस्य लगातार पाँच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिये स्वतः नलिंबति हो जाएगा।**

■ नलिंबन की शर्तें:

- नलिंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिये होती है।
- नलिंबति सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या **समितियों की बैठकों में शामिल नहीं** हो सकते हैं।
- वह चर्चा अथवा किसी प्रकार के नोटिस देने हेतु पात्र नहीं होगा।
- वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार खो देता है।

न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप:

- संवधान का **अनुच्छेद 122** कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- हालाँकि न्यायालयों ने वधायिका के प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है, जैसे-
 - महाराष्ट्र वधानसभा ने अपने 2021 के मानसून सत्र में 12 भाजपा वधायकों को एक साल के लिये नलिंबति करने का प्रस्ताव पारित किया।
 - यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, जसिने माना कि मानसून सत्र के शेष समय के बाद भी प्रस्ताव कानून में अप्रभावी था।

आगे की राह

- प्रचार या राजनीतिक कारणों से **नियोजित संसदीय अपराधों और जान-बूझकर गड़बड़ी से नपिटना** मुश्किल है।
- इसलिये वपिक्षी सदस्यों को संसद में रचनात्मक भूमिका नभिानी चाहिये और उन्हें अपने वचिर रखने तथा सम्मानजनक तरीके से खुद को व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- जान-बूझकर **व्यवधान और महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है।**

स्रोत: हदिसतान टाइम्स